महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1032 / 71–4–2018–07 / 2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 25 जून, 2018

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2018–19, हेतु नीट यू0जी0–2018 के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्क्रमों में प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–973 / 71–4–2018–7 / 2018, दिनांक 12.06.2018 द्वारा नीट यू0जी0–2018 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं निजी निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण का शासनादेश निर्गत किया गया है और शासनादेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा उक्त शासनादेश में कतिपय संशोधन निर्गत किये गये हैं।

3– उक्त शासनादेशों में यह प्राविधान किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से दोनों ही परीक्षायें उ0प्र0 के बाहर से उत्तीर्ण की हैं, को अभिलेखों के सत्यापन के समय मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि नीट यू0जी0–2018 की प्रथम चक्र की आन–लाइन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 26.06.2018 से निर्धारित नोडल सेन्टरों पर किया जाना है।

3– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) जिलाधिकारी स्तर से ऑफ–लाइन निर्गत किया जाता है और इसके लिए पूर्व में प्रकिया / प्रारूप राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है जबकि सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जारी होता है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण–पत्र सर्वोच्च प्राथमिकता पर निर्गत करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि नीट यू0जी0–2018 की काउंसिलिंग / प्रवेश प्रकिया सुचारू रूप से त्रुटिहीन तरीके से सम्पादित करायी जा सके।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1032(1) / 71–4–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 2395 दिनांक 18.06.2018 एवं संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 2458 दिनांक 21.06.2018 के कम में सभी संबंधितों को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

LKM GO 2018